न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आपूर्ति अपील वाद संख्या–08/2014–15

अजय कुमार ठाकुर

बनाम

राज्य (अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी।)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
20.9.16	**आदेश** प्रश्नगत अपील अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 2478, दिनांक 10.12.2014, जिसके द्वारा अपीलार्थी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति संख्या–01बी0/2011 को रद्द किया गया है, के विरूद्ध अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने के अनुरोध के साथ दायर किया गया है। अनुज्ञप्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द करने के आधार के रूप में नियमित रूप से उपावंटित खाद्यान्न का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं किया जाना तथा उपभोक्ताओं को राशन/किरासन तेल नियमित रूप से वितरण नहीं किया जाना अंकित है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में किसी स्पष्ट तथ्य का उल्लेख करने के स्थान पर रारसरी तौर पर अनुज्ञप्वि रद्द किये जाने को अनुचित बताते हुए अनुरोध किया गया है कि उनकी जन वितरण प्रणाली की रद्द अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित कर दी जाय। उनके अपील आवेदन में समय–समय पर खाद्यान्न उठाव हेतु बैंक ड्राफ्ट जमा किये जाने का वर्णन है। उनके अपील आवेदन में यह भी उल्लेख है कि उन्हें पैक्स के अध्यक्ष के रूप में जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति प्राप्त हुई थी, इसलिए पराजित प्रत्याशियों द्वारा शाजिश के तौर पर उन्हें फंसाया गया है। उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा भी सुनवाई के क्रम में समरूप तथ्यों को दोहराया गया है। अपीलार्थी के तर्कों का खंडन करते हुए विशेष लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम), खगड़िया/सरकारी विद्वान अधिवक्ता, खगड़िया द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द किया जाना न्यायोचित है क्योंकि जाँच के क्रम में उपभोक्ताओं द्वारा दुकान संचालन से संबंधित कई गंभीर शिकायतें की गयी थी। अपीलार्थी का अपील आवेदन खारिज करने योग्य है। वस्तु स्थिति के परिशीलन हेतु निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। आदेश के पठन से अपीलार्थी के विरूद्ध की गयी कार्रवाई का कारण स्वतः स्पष्ट है। अपीलार्थी द्वारा कई बार काफी विलम्ब से खाद्यान्न उठाव हेतु बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया है जिससे उपभोक्ताओं को निरंतर कठिनाई हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी का स्पष्ट मंतव्य है कि *"विक्रेता श्री ठाकुर से बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करने हेतु पूर्व में भी इस कार्यालय के ज्ञापांक–747 दिनांक 17.06.2014 एवं*	

Received for date 20/10/2016

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	ज्ञापांक–1969 दिनांक 11.10.2014 से भी स्पष्टीकरण की मांग किया गया था इससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा पूर्व से ही नियमित रूप से उपावंटित खाद्यान्न का बैंक ड्राफ्ट जमा नहीं करते हैं। इस कार्यालय से स्पष्टीकरण के उपरांत ही बैंक ड्राफ्ट जमा करने की कार्रवाई करते हैं।"	
	उक्त स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा प्रश्नगत अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने से संबंधित आदेश ज्ञापांक–2478 दिनांक 10.12.2014 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। आदेश को यथावत रखा जाता है। लेखापित एवं संशोधित जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया 20/9/16 डी0बी0......11 (प्र0)..... / विधि, दिनांक 20.9.2016 प्रतिलिपि :–अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आदेश की प्रति, जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। 20/9/2016 प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया। 20/9/16	